मुख्य सचिव

कार्यालय–ज्ञाप

उत्तराखण्ड राज्य में प्रतिवर्ष चारधाम यात्रा का आयोजन किया जाता है जिसमें देश–विदेश से लाखों श्रद्धालुओं का आगमन होता है। विगत कुछ वर्षों से राज्य में चारधाम यात्रा हेतु यात्रा सुविधाओं में निरन्तर सुधार होने के कारण श्रद्धालुओं की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई है। उक्त के दृष्टिगत यात्रा को निर्बाध रूप से संचालित करते हुए श्रद्धालुओं के लिए चारों धामों में दर्शन को सुलभ बनाया जाना राज्य सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है।

इस वर्ष चारधाम की यात्रा हेतु उत्तराखण्ड राज्य में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में अत्यधिक वृद्धि होने के कारण यात्रियों को सुगम एवं सुलभ यात्रा सुनिश्चित किए जाने एवं यात्रा की नियमित समीक्षा करने तथा यात्रा से जुड़े सम्बन्धित अधिकारियों को उचित दिशा–निर्देश प्रदान करने हेतु निम्नानुसार उच्चस्तरीय समिति (HLC) का गठन किया जाता है:–

1.	अपर मुख्य सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन	–	अध्यक्ष
2.	सचिव, गृह, उत्तराखण्ड शासन	–	सदस्य
3.	सचिव, पर्यटन, उत्तराखण्ड शासन	–	सदस्य संयोजक
4.	अपर पुलिस महानिदेशक, कानून व्यवस्था	–	सदस्य
5.	आयुक्त, गढ़वाल मण्डल	–	सदस्य
6.	पुलिस महानिरीक्षक, गढ़वाल मण्डल	–	सदस्य

अध्यक्ष द्वारा समय–समय पर किसी भी विषय विशेषज्ञ अधिकारी को आमंत्रित किया जा सकता है।

उक्त समिति प्रदेश में संचालित हो रही समस्त यात्राओं के भविष्य में सुचारू एवं निर्बाध रूप से संचालन हेतु एक विस्तृत कार्ययोजना भी तैयार कर प्रस्तुत करेगी।

साथ ही समिति राज्य में विभिन्न धार्मिक स्थलों पर होने वाली यात्राओं को निर्बाध एवं सुगम बनाने के लिए यात्रा प्राधिकरण या किसी अन्य संस्था के गठन के सम्बन्ध में भी एक माह के अन्दर अपने सुझाव प्रस्तुत करेगी।

(राधा रतूड़ी)
मुख्य सचिव

.....2

उत्तराखण्ड शासन, 4 सुभाष मार्ग, देहरादून, दूरभाष : (0135) 2712100, 2712200 फैक्स : 2712500
E-mail : cs-uttarakhand@nic.in, chiefsecyuk@gmail.com

संख्याः 4867/नि0स0–मु0स0/2024, दिनांकः 25 मई, 2024

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अपर मुख्य सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. सचिव, गृह, उत्तराखण्ड शासन।
5. सचिव, पर्यटन, उत्तराखण्ड शासन।
6. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
7. अपर पुलिस महानिदेशक, कानून व्यवस्था, उत्तराखण्ड।
8. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमायूं मण्डल, नैनीताल।
9. पुलिस महानिरीक्षक, गढ़वाल मण्डल, उत्तराखण्ड।
10. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
11. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तराखण्ड।
12. गार्ड फाइल।

(राधा रतूड़ी)
मुख्य सचिव